



WWJMRD 2018; 4(8): 82-86
www.wwjmr.com
International Journal
Peer Reviewed Journal
Refereed Journal
Indexed Journal
Impact Factor MJIF: 4.25
E-ISSN: 2454-6615

महेश कुमार निठारवाल
शोधार्थी राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
भारत

WTO के 2001 से 2011 के मध्य सम्मेलनों एवं मुख्य शब्दावली का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

महेश कुमार निठारवाल

प्रस्तावना

शोधार्थी ने अपने शोध कार्य से स्पष्ट किया है कि विश्व व्यापार संगठन एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक पहल पर विश्व व्यापार के नियम बनाता है इसकी स्थापना गैट के स्थान पर 1995 में की गई थी विश्व व्यापार संगठन के सचिव एवं महानिदेशक जेनेवा में निवास करते हैं सचिवालय में अब तक केवल 551 लोग काम करते हैं और संगठन के सभी पहलुओं के संचालन का प्रशासनिक कार्य संभालते हैं सचिवालय के पास कानूनी निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है संरचनात्मक दृष्टि से मुख्य निकाय—मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है यह (Ministerial Council) यह विश्व व्यापार संगठन की शासी निकाय है यह संगठन की रणनीतिक दिशा तय करने और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत समझौतों पर सभी अन्तिम निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें सभी सदस्य देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री होते हैं। शोधार्थी द्वारा इन सम्मेलनों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

विश्व व्यापार संगठन के महत्वपूर्ण सम्मेलन

विश्व व्यापार संगठन की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था सदस्य देशों के मंत्रितयों का सम्मलेन है, जिसकी दो साल में जरूरी है। यह उन सभी सदस्य देशों को एकजुट करता है, जो सीमा शुल्क जैसे प्रावधानों के कारण अलग-अलग देशों के सम्मेलन बहुपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत किसी भी मामले पर फैसले कर सकता है। 1995 में स्थापना के बाद स्तर के कई सम्मेलन हो चुके हैं, जैसे सिंगापुर (दिसम्बर 1996), जेनेवा (मई 1998), सिएटल (नवम्बर (नवम्बर 2001), कैनकून (सितम्बर 2003), हांग कांग (दिसम्बर 2005), जेनेवा (30 नवम्बर-2 दिसम्बर (15-17 दिसम्बर, 2011)

सिंगापुर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में विश्व व्यापार संगठन के इच्छुक सदस्यों ने सूचना प्रौद्योगिकी और उन चार मुद्दों पर जिन्हें सिंगापुर मुद्दे कहा गया। ये हैं—व्यापार और निवेश में संबंध, व्यापार और प्रतियोगिता नीति में सम्पर्क, सरकारी पारदर्शिता और व्यापार का सरलीकरण। जेनेवा सम्मेलन का आयोजन उस समय किया गया, गैट बहुपक्षीय व्यापार पांचवी जयंती मनायी जा रही थी। सिएटल मंत्रिस्तरीय सम्मेलन मंत्रियों द्वारा अंगीकार किए जाने वाले घोषणा पर बगैर ही विफल हो गया।

Correspondence:

महेश कुमार निठारवाल
शोधार्थी राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
भारत

दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, 2001: नवम्बर 2001 में दोहा (कतर) में विश्व व्यापार संगठन का चौथा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में कृषि, सेवाओं और औद्योगिक उत्पादों के व्यापार के विस्तार एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर हुए सिरों से वार्ता का दौर प्रारम्भ करने पर सहमति बनी। इस सम्मेलन ने एक व्यापार कार्ययोजना स्वीकार की, जिसे दोहा डवलपमेंट एजेण्डा कहा गया। इसके जरिए कुछ मुद्दों पर वार्ताएं शुरू की गयीं और कृषि तथा सेवाओं पर कुछ अतिरिक्त मापदण्ड और समय सीमाएं तय की गयीं। दोहा के इस सम्मेलन में ट्रिप्स समझौता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों और चिंताओं पर एक घोषणा भी अंगीकार किया गया। दोहा सम्मेलन की पूर्ण बैठक में एक वक्तव्य में भारत ने मौजूदा विश्व व्यापार संगठन समझौतों की कार्यान्वयन संबंधी चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने का अनुरोध किया और इस बात पर भी जोर दिया कि विकासशील देशों के प्रति भावी कार्ययोजना में अलग और विशेष व्यवहार के रूप में विकास को प्रभावी ढंग से समन्वित किया जाए। भारत ने जोर देकर कहा कि बाजार पर बुरा असर डालने वाली सब्सिडी समाप्त करने के अलावा खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास को सुरक्षित रखने के उपाय किए जाने चाहिए। 1 जनवरी 2000 से शुरू सेवा वार्ताओं में माननीय लोगों की आवाजों पर जोर दिया गया, ताकि सदस्य और खासतौर पर विकासशील देश अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को लागू कर सकें। भारत ने श्रम जैसे मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन के दायरे में लाने और व्यापार प्रतिबंध उपायों को कानूनी रूप देने के उद्देश्य से पर्यावरण संबंधी मुद्दे शामिल करने की कोशिशों का विरोध किया। दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की घोषणाओं और फसलों की खास बातें इस प्रकार हैं—ट्रिप्स एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, कार्यान्वयन मुद्दे, विशेष और विशिष्ट व्यवहार, कृषि, सेवाएं, गैर कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच पर समझौता वार्ता, नियम, वार्ता सहमति, व्यापार और पर्यावरण, संबंधित मुद्दे एवं वर्क प्रोग्राम आदि।

दोहा डवलपमेंट एजेंडे के संदर्भ में भारत की कुछ मुख्य आपत्तियां थीं, जिनमें विदेशी निवेश एवं प्रतिस्पर्धा नीति के संबंध में नए वैश्विक नियमों के निर्धारण, सरकारी परियोजनाओं के लिए समान की खरीद में विदेशी कम्पनियों को अवसर प्रदान करने तथा व्यापारिक नियमों को सरल बनाने के मुद्दे शामिल थे। भारत ने दोहा घोषणा पत्र को अपनी मंजूरी तभी प्रदान की जब उन पर पांचवे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन पर विचार करने की बात कही गयी।

कैनकुन सम्मेलन, 2003: विश्व व्यापार संगठन का पांचवा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सितम्बर 2003 में कैनकुन (मैक्सिको) में आयोजित किया गया, लेकिन विकसित, विकासशील और गरीब देशों के हितों के बीच गंभीर टकराव में कोई समझौता नहीं आने दिया। विश्व व्यापार संगठन पहली बार भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चीन और अन्य विकासशील देशों के तर्क को गंभीरता सुना गया। विकसित देशों की कृषि सब्सिडी समाप्त करवाने की मांग को लेकर शेष देश (विकासशील) अड़ गए, तो विकसित देश भी इस मोर्चे पर कोई बड़ी रियायत देने को तैयार नहीं थे। कृषि निर्यात सब्सिडी में मामूली छूट देकर वे बाकी देशों को निवेश से जुड़े सिंगापुर मुद्दों में से किसी एक पर झुकाने की कोशिश में थे। अपने-अपने फायदे की ताक में लगे देश किसी न किसी समझौते की कोशिश में थे, लेकिन केन्या और कैरेबियाई देशों ने वार्ताओं को अपने हितों के अनुरूप न आकर बहिष्कार कर दिया और इसके बाद कैनकुन सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया गया।

विकास दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का मुख्य विषय बन गया था, परन्तु बाद की घटनाओं से, जिन्हें लेकर कैनकुन की मंत्रिस्तरीय बैठक हुई, यह स्पष्ट हुआ कि वास्तव में ऐसा नहीं था। विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण सभी विषयों, ट्रिप्से ट्रिप्स, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कार्यान्वयन मुद्दे और विशिष्ट व्यवहार की दोहा में निर्धारित अंतिम समय सीमा स्रोत गयी। यहां तक की एचआईवी व एड्स जैसी भयंकर बीकारियों की रोकथाम से संबंधित ट्रिप्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य, कार्यान्वयन मुद्दे और विशेष एवं विशिष्ट व्यवहार की दोहा में निर्धारित अंतिम समय सीमा बीत गयी। यहां तक की एचआईवी व एड्स जैसी भयंकर बीकारियों की रोकथाम से संबंधित ट्रिप्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन घोषणा का कार्यान्वयन भी देर से किया गया इसके बारे में अनावश्यक तथा लम्बी वार्ता के बाद 30 अगस्त 2003 को फ़ैसला किया गया, जबकि अफ्रीकी देशों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था।

कैनकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का उद्देश्य एक ऐसा मंच बनाना था, जहां दोहा वार्ता की प्रगति की समीक्षा की जानी थी, आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने वाले थे, और सिंगापुर मुद्दों की स्थिति पर विशेष निर्णय किए जाने थे। इस सम्मेलन ने विकसित देशों को यह साबित करने के पर्याप्त अवसर दिए कि वे दोहा कार्ययोजना के विकास पक्ष पर गंभीरता से काम कर रहे हैं, लेकिन दो अति विवादास्पद मुद्दों अर्थात कृषि और सिंगापुर मुद्दों पर विश्व व्यापार संगठन सदस्यों के महत्वाकांक्षा

के स्तर को गंभीर मतभेदों के चलते कैनकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन बहुत जटिल हो गया। सम्मेलन के अध्यक्ष ने 13 सितम्बर 2003 की मसौदे का जो संशोधित मूल पाठ वितरित किया, वह असंतुलित था और परिणामस्वरूप मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का घोषणापत्र पारित नहीं हो सका।

कैनकुन की एक रचनात्मक उपलब्धि यह रही कि विकासशील देशों ने अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुटता प्रकट की और विकसित देशों द्वारा गठबंधन तोड़ने के दबाव के बावजूद एक बने रहे। इस सम्मेलन से विकासशील देशों को कार्यसूची और वार्ता के निष्कर्षों के बारे में और अधिक निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता सुलभ हुआ। एक अन्य रचनात्मक घटनाक्रम यह था कि जी-20 ने विश्व समुदाय के सामने औश्र कैनकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रभावी रूप से उन लोगों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो खेती पर निर्भर है।

जेनेवा समझौता, 2004: दोहा और कैनकुन सम्मेलन में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए और आगे की बातचीत के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की तलाश के लिए अथक प्रयत्न हुए। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि 31 जुलाई, 2004 को संगठन की समान्य परिषद के 147 सदस्य देशों द्वारा निम्न मुद्दे स्वीकृत किए गए—

- कृषि उत्पादन विषयक घरेलू-समर्थन में कटौती।
- निर्धारित सीमा के भीतर किसानों को समर्थन देने वाले विकासशील देशों को कटौती न करना।
- निश्चित तारीख तक निर्यात विषयक साखों और सब्सिडियों को समाप्त करना।
- कृषि प्रशुल्कों की कटौती हेतु समय और दूरी का निर्धारण करना।
- विकासशील देशों को विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि अपनाने की छूट।
- सिंगापुर मुद्दों में से तीन-निवेश, स्पर्धा नीति और सरकारी खरीद पर चर्चा नहीं करना।

पहली बार विश्व मंच पर विकसित देशों ने उक्त समझौते में आस्था जतायी। इससे आभास होता है कि विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था नहीं है। राजनीति और सैन्य विश्व में ऐसा दृश्य असंभव प्रतीत होता है। यदि व्यवस्था का संरूपण करती है, तो आगामी विश्व का स्वप्न आश्वस्त करता है कि उसमें किसी या कुछ दोनो के लिए जगह नहीं रहेगी। जेनेवा सहमति में

विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने का नेतृत्व जी-20 में किया। विकासशील देशों का अनौपचारिक समूह है, जिनकी अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है।

हांगकांग मंत्रिस्तरीय वार्ता, 2005: जी-20 ने दिसम्बर 2005 को हांगकांग में प्रस्तावित छठी मंत्रिस्तरीय को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में कटौती और विविध पहलुओं के साथ पूर्ण प्रणाली पर एक समझौते की मांग की बातचीत में अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखी वार्ता के दौरान उन्होंने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए तकनीक को हाथ में लिया। भारत ने मार्च 2005 के दौरान नयी दिल्ली में जी-20 की मंत्रिस्तरीय बैठक बुलाने की उद्देश्य हांगकांग में होने वाली मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए स्थिति का जायजा लेते हुए रणनीति तैयार करना तथा आयोजित जी-20 की मंत्रिस्तरीय बैठक बुलाने की पहल की। इसका उद्देश्य हांगकांग में होने वाली मंत्रिस्तरीय के लिए स्थिति का जायजा लेते हुए रणनीति तैयार करना था। नई दिल्ली में आयोजित जी-20 की बैठक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ और जी-20 के सदस्यों ने इस मौके पर अन्य विकासशील देशों के समन्वयकों से भी मुलाकात की। इसमें विशेष उत्पादों पर जी-33, कैरीकॉम, अफ्रीकी-कैरेबियन पैसिफिक अल्प विकसित देश (एलडीसी) शामिल है। साथ ही साथ उन्होंने कृषि वार्ताओं में बेहतर साझेदारी विचारधारा वाले देशों तक पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

समझौते के अंतर्गत कृषि वार्ताओं में विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर समझदारी बनाने तीन स्तम्भों समर्थन और निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को विस्तार देने पर जोर दिया गया। तीन स्तम्भों से जुड़ी परिभाषा और मूल ध्यान दिया गया। अधिकांश विचार-विमर्श नॉन एड बेलारेम तुल्यांक (एवीईएस) में परिवर्तित करने की प्रक्रिया रहा। यह मुद्दा शुल्क कटौती नियम पर वार्ता के लिए संकट द्वारा कहा जाता रहा है। इस सहमति के गतिरोध की स्थिति जिससे दोहा दौर की पूरी वार्ता के निष्फल हो जाने का खतरा पैदा हो गया था, समाप्त देशों ने तब से संरचनात्मक दृष्टि से अनौपचारिक, पत्र पेश किया है, जिसमें तीनों स्तम्भों में से प्रत्येक में विकास को मार्गदर्शन मिल सका। यह अब व्यापक रूप से मान्य हो चुका है कि वार्ताएँ बुनियादी पहुंच की हुए निरन्तर गतिशीलता प्राप्त करेगी। व्यापार मंत्रियों की जेनेवा बैठक, 2008: जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की नौ दिवसीय बैठक को शुरू तो हुई काफी गहमा-गहमी के साथ, लेकिन अमेरिका की जिद के चलते वार्ता नौ दिन में अढ़ाई कोर्स पायी। आयात की मार से अपने

किसानों को बचाने के उपायों के मुद्दे पर भारत और चीन ने अमेरिकी दबाव केसे मना कर दिया। केला उत्पादक देशों ने भी साफ-साफ कहा कि यदि आयात पर कर में किसी तरह की छेड़छाड़ की तो इसे कतई बर्दास्त नहीं किया जायेगा। किसी हद तक ऐसा ठीक भी है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ भारत और चीन अपने किसानों को पर्याप्त सुरक्षा देने पर अडिग थे, तो इन दिनों आठ दशक कीमंदी झेल रहा अमेरिका इस सौदे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। भारत समेत विकासशील देश विकसित कृषि निर्यात सब्सिडी के खिलाफ है। परिणामस्वरूप यह वार्ता विफल साबित हुई।

जेनेवा में दोहा वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने इस शर्त पर अपने कुल व्यापार को घटाकर 15 अरब डॉलर करने की पेशकश की कि भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील बाजारों के लिए शुल्क कम करेंगे। पिछले साल तक अमेरिका 17 अरब डॉलर तक की सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि के अनुसार यह सब्सिडी काफी कम हो जानी चाहिए थी। अमीर देश चाहते हैं कि भारत जैसे देश अपने बाजार पश्चिम की कम्पनियों को बैंकिंग, कारों और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों में आगे आने दे। इसके प्रति उत्तर में प्राप्त विकासशील देश चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय संघ कृषि, उत्पादों से सब्सिडी हटाये, ताकि विकासशील देश उत्पाद उन देशों में खरीदे जाए, लेकिन विकसित देशों को ऐसा मंजूर नहीं है।

कहने को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के पीछे विश्व भर में सहज प्रवाह के साथ व्यापार को बढ़ावा देना रहा है, लेकिन अमीर देश भूल जाते हैं कि गरीब देशों में उनका माल पहुंचने और गरीब देशों का माल उनके यहां पहुंचने में बड़ा फर्क होता है। व्यवहार में आने पर यह बराबरी वास्तव में गैर बराबरी में तब्दील हो जाती है। दरअसल विकसित देश विश्व व्यापार संगठन का इस्तेमाल अपने सामान को भारत और चीन जैसे बड़े बाजारों में पहुंचाना चाहते हैं। विकासशील देशों के कृषि उत्पादों पर सब्सिडी हटते ही वे महंगे हो जायेंगे और तब विकसित देशों का माल गरीब देशों में धड़ाधड़ बिकने लगेगा। इस बार अमेरिका की रणनीति यह थी कि विकासशील देशों को विश्व व्यापार संगठन के तहत दी जाने वाली रियायतों को कुछ खास क्षेत्रों के लिए सीमित न रखकर आम कर दिया जाए, ताकि अमेरिका के व्यापारिक हितों की रक्षा हो सके, जबकि भारत जैसे

देश अपने किसानों की रोजी-रोटी का जरिया बनाने में जुट गए हैं।

आठवीं मंत्रिस्तरीय बैठक, 2011: विश्व व्यापार संगठन की आठवीं मंत्रिस्तरीय बैठक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 15 से 17 दिसम्बर, 2011 को आयोजित की गयी। इस बैठक में दोहा विकास एजेण्डा और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श किया गया। लेकिन इन मुद्दों पर कोई विशेष निर्णय नहीं लिया जा सका। इस प्रकार इस बैठक कोभी कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। इस सम्मेलन के दौरान रूस, को विविध सदस्यता प्रदान की गयी।

विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुख्य शब्दावली:-

विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुख्य शब्दावली में टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (मेप) विश्व व्यापार संगठन मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस, दोहा डेवलपमेंट एजेण्डा (डीडीए) मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर), विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल नियत विदेशी संदर्भ मूल्य, दौर की वार्ताएँ यू.एस. फार्म बिल, यूरोपीय संघ सामान्य कृषि नीति, फ्रेमवर्क समझौता, कृषि हेतु संशोधित प्रारूप कार्य प्रणाली, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 ब्रिक्स, जी-20 मुख्य रूप से है।

निष्कर्ष

शोधार्थी द्वारा किये गये उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन की सर्वोच्च प्राधिकारी मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस है। जिसमें प्रत्येक सदस्य देश के राजनैतिक प्रतिनिधि (व्यापारमन्त्री) सम्मिलित होते हैं। पहली मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस 1996 में सिंगापुर में हुई थी। अब तक कुल 9 कांफ्रेंस हो चुकी है। लेकिन शोधार्थी द्वारा इस शोध पत्र में 2001 से 2011 के मध्य के ही मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों का विस्तृत विश्लेषण किया है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार प्रेस सूचना ब्यूरो 'इण्डियाज स्टैंड इन द विश्व व्यापार संगठन' के संबंध में निर्मला सीताराम का व्यक्तव्य 28 नवम्बर 2014
2. विश्व व्यापार संगठन की वेबसाइट
3. वाणिज्य विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट
4. वर्ल्ड कोकस 'मासिक पत्रिका' दिसम्बर 2015 पेज नं. 47
5. अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं संगठन निर्माण आईएसएस पेज नं. 288
6. डॉ. कडिया बीएल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन प्रकाशन 2012 पेज नं. 264-266
7. क्रोमिकल मासिक पत्रिका नवम्बर 2015

8. दृष्टिकोण मंथन पक्षिक पत्रिका 2011
9. दैनिक भास्कर संपादकीय पृष्ठ 2013